

**हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल न्यू शिमला के
लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 04/12 से 03/13 तक

भाग—एक

1 (क) प्रस्तावना :—

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम-2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहित प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0-4(डी)1-1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के विद्युत मण्डल न्यू शिमला के लेखाओं अवधि 04/12 से 03/13 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान श्री बी0के0 त्रिवेदी अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

(ख) अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण:—

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹) लाखों में
1	स्टॉफ अग्रिम का समायोजन न करना	4(क)	3.07
2	विविध अग्रिमों का समायोजन न करना	4(ख)	3.89
3	सुरक्षित अग्रिमों का लम्बी अवधि तक समायोजन न करना	5	44.57
4	निक्षेप निर्माण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	6	5071.67
5	संविदाकार को अधिक भुगतान	7	.0.03
6	वाहनों के ईंधन की खपत निर्धारित माप दण्डों से अधिक होने के कारण वसूली	8	1.11

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट "क" में दर्शाई गई है। उक्त परिशिष्ट में निम्न विवरणानुसार 49 पैरे शेष है।

क्रम संख्या	वर्ष	शेष पैरों की संख्या	टिप्पणी
1	04 / 92 से 03 / 93	1	
2	04 / 95 से 03 / 96	1	
3	04 / 97 से 03 / 98	1	
4	04 / 98 से 03 / 99	1	
5	04 / 99 से 3 / 2000	1	
6	04 / 2000 से 03 / 2001	2	
7	04 / 2001 से 03 / 2002	2	
8	04 / 2002 से 03 / 2003	1	
9	04 / 2003 से 03 / 2004	3	
10	04 / 2004 से 03 / 2005	2	
11	04 / 2005 से 03 / 2006	5	
12	04 / 2006 से 03 / 2007	2	
13	04 / 2007 से 03 / 2008	4	
14	04 / 2008 से 03 / 2009	6	
15	04 / 2009 से 03 / 2010	7	
16	04 / 2010 से 03 / 2011	5	
17	04 / 2011 से 03 / 2012	5	
कुल योग		49	

अतः अधिशासी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास विद्युत मण्डल न्यू शिमला उपरोक्त शेष आडिट पैरों में अपेक्षित कार्रवाई करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण सुनिश्चित करें।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल शिमला के लेखों अवधि 4/11 से 3/12 तक का अंकेक्षण कार्य श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी तथा श्री बी0एस0 कंवर, उप निदेशक (अंकेक्षण) स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-09 के पर्यवेक्षण में दिनांक 11.11.13 से 2.12.13 तक न्यू शिमला मण्डल में किया गया। माह 3/2013 के लेखाओं का चयन विस्तृत जाँच हेतु किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैरों में समाविष्ट किया गया है अनुवर्ती पैरों में वर्णित अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल, शिमला के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख तथा सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं के गलत अथवा अपूर्ण होने की अवस्था में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

उक्त संस्था के अवधि 04/2012 से 03/2013 तक के अंकेक्षण शुल्क की गणना तथा मांग अलग से की जाएगी।

4 स्टाफ अग्रिम तथा विविध अग्रिम की असमायोजित राशियों के बारे में:-

(क) दिनांक 31.03.13 तक स्टाफ अग्रिम ₹306986/- समायोजन हेतु शेष :-

अधिशाषी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल शिमला द्वारा उपलब्ध करवाई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.13 तक स्टाफ को दिए गए अग्रिम ₹306986/-का समायोजन लम्बित था जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम व पद	दिनांक 31.03.13 को असमायोजित अग्रिम की राशि
1	श्रीमति रजनी दुगल सहायक अभियन्ता	3232
2	श्री नरेश कुमार सहायक अभियन्ता	8992
3	श्री सुरेन्द्र कुमार, चालक	48916
4	श्री रोशन लाल, चालक	(-) 11806
5	श्री राजेन्द्र पाल, चालक	219076
6	श्री सुरेन्द्र सिंह, चालक	(-) 14482
7	श्री दुनी चन्द, चालक	(-)1952
8	श्री दिनेश कुमार, चालक	2647
9	श्री नन्द लाल, चालक	1410
10	श्री नरेश कुमार, चालक	8078
11	श्री दुर्गा दास, चालक	(-) 5336
12	श्री सुरेश सुमन, चालक	(-) 2672
13	श्री जगदीप कुमार, चालक	(-) 19908
14	श्री सुरेश कुमार, चालक	(-)3986
15	श्री सुनील कुमार, क्लीनर	12106
16	श्री रमेश कुमार चालक	51895
17	श्री प्रकाश चन्द, चालक	20001
18	श्री मनोहर लाल, चालक	18225
19	श्री दुर्गा राम, चालक	9000
		कुल योग ₹306986

हिमुडा विद्युत मण्डल शिमला द्वारा अग्रिम राशियों के समायोजन हेतु गम्भीरता से कार्यवाही नहीं की गई जिसके फलस्वरूप उक्त अग्रिम राशियाँ समायोजन हेतु शेष पड़ी है। अतः उपरोक्त मामलों में अग्रिम राशियों के समायोजन हेतु शीघ्र उचित कार्रवाई की जाये अन्यथा अग्रिम राशियों की वसूली सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से अविलम्ब पैनल ब्याज सहित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) दिनांक 31.03.13 को विविध अग्रिम ₹389066.40 समायोजन हेतु शेष :-

अधिशायी अभियन्ता, विद्युत मण्डल हिमाचल प्रदेश विकास प्राधिकरण शिमला द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.12 तक विविध अग्रिम ₹389066.40 समायोजन हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	कर्मचारी/संस्थान का नाम	दिनांक 31.03.13 तक समायोजन हेतु बकाया
1	निदेशक, रूरल हाऊसिंग विंग शिमला	4,794.55
2	निदेशक, आर0आई0डी0 शिमला	5,775.20
3	एम0डी0एच0पी0एम0सी0 शिमला	950.55
4	निदेशक, इण्डस्ट्रीज शिमला	369.60
5	इन्स्टीट्यूट इण्डस्ट्रीज शिमला	721.50
6	श्री दिनेश कुमार, चालक	845.00
7	श्री सुरेन्द्र सिंह, चालक	32994.00
8	श्री नरेश कुमार, चालक	1332.00
9	श्री सुरेन्द्र कुमार, चालक	9343.00
10	श्री दुर्गा दास, चालक	178789.00
11	श्री राजेन्द्र पाल, चालक	147050.00
12	श्री सुनील कुमार, क्लीनर	1984.00
13	श्री आर एस धरीपटा	3812.00
14	मै0 शर्मा एण्ड को0 शिमला	306.00
		कुल योग ₹389066.40

अतः अधिशायी अभियन्ता उक्त अग्रिम राशि के यथा समय समायोजन हेतु उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 विभिन्न संविदाकारों से ₹44.57 लाख के सुरक्षित अग्रिम की वसूली शेष :-

मण्डल द्वारा बिजली निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु संविदाकारों को सुरक्षित अग्रिम राशियों के रूप में किये भुगतान में से दिनांक 31.03.13 तक ₹4456524/- की राशि वसूली हेतु शेष थी। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है। इसमें से कुछ एक संविदाकारों को लगभग 7 वर्ष पहले सुरक्षित अग्रिम राशि का भुगतान किया गया था परन्तु अभी तक इन राशियों का समायोजन वसूली नहीं की गई। इस बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में आपत्तियों उठाई गई थी।

अतः सुरक्षित अग्रिम राशियों की वसूली संविदाकारों से यथाशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाएं।

क्रम संख्या	संविदाकार का नाम	अनुबन्ध संख्या	राशि
1	मेसर्स साईं इलेक्ट्रीकल संजोली, शिमला-6	24 वर्ष 2010-11	363825.00
2	मै० कालरा हार्डव्येर एंड इलेक्ट्रीकल स्टोर, दी माल शिमला	5 वर्ष 2004-05	50145.00
3	—यथोपरि—	6 वर्ष 2011-12	34125.00
4	मै० शर्मा एंड की० शिमला	22 वर्ष 2005-06	260865.00
5	मै० चढा एंड कम्पनी सोलन	10 वर्ष 2007-08	28350.00
6	—यथोपरि—	13 वर्ष 2011-12	357431.00
7	—यथोपरि—	9 वर्ष 2011-12	375550.00
8	श्री प्रकाश चन्द बी०सी०एस०, न्यू शिमला	2 वर्ष 2009-10	24420.00
9	—यथोपरि—	10 वर्ष 2009-10	18749.00
10	मै० कुमार इलैक्ट्रॉनिक्स ऊना	12 वर्ष 2010-11	282081.00
11	—यथोपरि—	15 वर्ष 2010-11	533739.00
12	—यथोपरि—	17 वर्ष 2012-13	1791011.00
13	मै० भारद्वाज इलैक्ट्रीकल कम्पनी, न्यू शिमला-9	5 वर्ष 2008-09	247200.00
14	—यथोपरि—	13 वर्ष 2012-13	89033.00
कुल योग			₹4456527.00

6 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से निक्षेप कार्यों जमा राशि ₹5071.67 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना :-

विद्युत मण्डल शिमला द्वारा कार्यों "प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल इलैक्ट्रीकल इन्स्टालेशन" के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास दिनांक 31.03.13 तक ₹507166916/- की राशि जमा करवाई गई थी जिन के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए यद्यपि इन जमा राशियों से अधिकांश निर्माण कार्यों को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के द्वारा पूर्ण कर लिए गये हैं। जिन्हें अब प्राप्त करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही की जाए। इसके अतिरिक्त यदि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कोई राशि शेष बचती है तो उसे वापिस लिया जाना सुनिश्चित किया जाए। दिनांक 31.3.13 तक कार्य करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास जमा राशि का विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ख" पर दिया गया है। पूर्ण किए गए कार्य क्या प्रस्तुत प्राकलन जिसके आधार पर राशि जमा करवाई गई थी के अनुरूप थे, के बारे में विभागीय जाँच करवाना सुनिश्चित करें। यदि प्रस्तुत प्राकलन व वास्तव में किए गए कार्य में कोई विचलन हो तो इस विचलन का कार्य के मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन विभागीय तौर पर करवाना सुनिश्चित करें। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 ₹2264/- का संविदाकार का अधिक भुगतान:-

कार्य का नाम:- "C/O Ayurvedic Hospital at Nalagarh Distt. Solan (Sh. Providings E.I. work to ground floor)

एजेंसी का नाम:- मैसर्स चडडा और कम्पनी

वाउचर संख्या:- 70

माह:- 3/13

अनुमानित राशि:- 144198

आंबटन राशि:- 129103

कार्य को पूर्ण करने का आंबटित समय:- एक साल

माप पुस्तिका सं० :- 210/08 पृष्ठ 80 से 85

ऐग्रीमैन्ट सं०:- 11 वर्ष 2012-13

उक्त निर्माण कार्य मै0 चडडा एण्ड कम्पनी को आबंटन पत्र संख्या HB-PP & E/W-7/2010-1413 से 18 दिनांक 8.8.12 द्वारा 10.46 प्रतिशत below the amount put to tender के उपर ₹129103/-में किया गया। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक साल का समय निर्धारित किया गया था जिसके अनुसार कार्य को 22.8.12 15 days from the date of issue of ceerard letter शुरू करके दिनांक 21.10.13 को पूर्ण किया जाना अपेक्षित था परन्तु ये कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त आबंटन पत्र की शर्त के अनुसार संविदाकार के प्रथम दो चलत बिलों में ₹2264/- प्रति बिल की दर से ₹4528/- तब तक withheld किये जाने अपेक्षित थे जब तक संविदाकार मद संख्या 5, 6 तथा 7 का निष्पादन न कर दें परन्तु प्रथम चलत बिल की जांच करने पर पाया गया कि मण्डल द्वारा संविदाकार के प्रथम चलत बिल के भुगतान से पूर्व ₹2264/- को with held नहीं किये गये जिसके फलस्वरूप संविदाकार को प्रथम बिल में ₹2264/- का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया। अतः संविदाकार के प्रथम चलत बिल ₹2264/- को withheld न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये और आगामी द्वितीय चलत बिल से ₹2264/- के साथ कुल ₹4528/-को नियमानुसार withheld किया जाना सुनिश्चित किया जाये जब तक संविदाकार द्वारा संख्या 5, 6 व 7 का कार्य पूर्ण रूप से निष्पादन नहीं किया जाता तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8 वाहनों की ईंधन की खपत निर्धारित माप दण्डों से अधिक होने के फलस्वरूप ₹111024/-की वसूली:-

हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या जी0ए0डी0-ए(डी)-1-98 दिनांक 21.01.97 द्वारा सरकार ने विभिन्न वाहनों की पेट्रोल/डीजल की औसत खपत प्रति लीटर किलोमीटर निम्न प्रकार से है:-

वाहन	स्थानीय यात्रा प्रति लीटर	लम्बी दूरी की यात्रा प्रति लीटर
कन्टैसा कार	6 कि0मी0	7.50 कि0मी0
अम्बैस्डर कार	6 कि0मी0	7.50 कि0मी0
मारुति जिप्सी	8 कि0मी0	9.00 कि0मी0
मारुति बैन	9कि0मी0	10.00 कि0मी0

बलैरो बी0एस0आई0	9 कि0मी0	10.00 कि0मी0
एस्टीम एल0एक्स0	9 कि0मी0	10.00 कि0मी0

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित वाहनों की औसत प्रति लीटर कि0मी0 के उपरोक्त मापदण्डों से न केवल हिमाचल प्रदेश के अन्य विभागों/बोर्डों इत्यादि की भान्ति हिमुडा के वाहनों पर भी अक्षरशः लागू होते हैं अपितु इन माप दण्डों को लागू करने के लिए सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमुडा द्वारा भी अनुदेश जारी किए गए हैं। इन अनुदेशों की पालना न होने की स्थिति में ईंधन की अधिक खपत की अवस्था से सम्बन्धित चालकों से वसूली की जानी अपेक्षित थी, जो कि दिनांक 1.4.12 से 31.3.13 तक निम्नविवरणानुसार विभिन्न चालकों से ईंधन की अधिक खपत के फलस्वरूप ₹111024/- की वसूली नहीं की गई। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अपेक्षित कार्यवाही अब अमल में लाई जाए। कम औसत के कारण ईंधन की अधिक खपत का विवरण निम्न प्रकार से है:-

वाहन संख्या एच0पी0-03-0030

माह	माह के दौरान तय दूरी	सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर जितने तेल की खपत	माह के दौरान ईंधन की वास्तविक खपत	ईंधन की अधिक खपत	दर	राशि
04 / 12	1277	159.63	163	3.38	40.60	157.50
05 / 12	2741	342.63	348	5.37	40.96	219.95
06 / 12	2151	268.87	279	10.13	40.68	412.09
07 / 12	2388	298.50	310	11.50	40.91	470.47
08 / 12	2128	266.00	278	12.00	41.36	496.32
09 / 12	1053	131.63	151	19.37	46.33	897.41
10 / 12	1553	194.13	199	4.87	45.89	223.48
11 / 12	2634	329.25	335	9.75	46.70	455.33
12 / 12	1162	145.00	143	—	—	—
01 / 13	1612	201.50	204	2.50	46.96	117.40

02 / 13	2759	344.87	348	3.13	46.53	145.64
03 / 13	2057	269.62	260	—	—	—
						3595.59
					Says	3596

वाहन संख्या एच0पी0-03बी-744 एस्टीम

माह	माह के दौरान तय दूरी	सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर ईंधन की जितनी खपत चाहिए थी	माह के दौरान ईंधन की वास्तविक खपत	ईंधन की जितनी अधिक खपत	दर	राशि
04 / 12	2578	271.37	277	5.63	70.92	399.28
05 / 12	2235	226.99	243	16.01	76.58	1226.05
06 / 12	1039	108.79	112	03.21	73.19	234.94
07 / 12	3585	370.46	389	18.54	72.50	1344.15
08 / 12	1920	196.18	202	6.79	74.60	506.53
09 / 12	3492	355.46	365	9.54	72.47	691.36
10 / 12	1839	188.06	191	2.94	72.16	212.15
11 / 12	2128	223.92	227	3.08	71.06	218.86
12 / 12	1449	151.33	158	6.67	71.06	473.97
01 / 13	1882	196.43	196	—	—	—
02 / 13	1470	150.63	158	7.36	72.62	534.48
03 / 13	1657	174.13	177	2.87	71.87	206.27
						6048.04

वाहन संख्या एच0पी0-03-1623 (जिप्सी)

माह	माह के दौरान तय दूरी	सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत के अनुसार खपत	माह के दौरान ईंधन की वास्तविक खपत	ईंधन की जितनी अधिक खपत	दर	राशि
	कि.मी0 में	ली0 में	ली0 में	ली0 में	₹ में	₹ में
04 / 12	2256	261.49	370.00	108.51	70.92	7695.53
05 / 12	2269	261.64	370.00	108.38	76.58	8298.21
06 / 12	2139	245.47	334.44	88.97	73.19	6511.71
07 / 12	1511	177.24	272.00	94.76	72.50	6870.10
08 / 12	1468	168.55	246.00	77.45	74.60	5777.77
09 / 12	1055	119.22	183.00	63.78	72.47	4622.14
10 / 12	1346	154.72	223.00	68.27	72.16	4926.36
11 / 12	1373	157.75	221.00	63.25	71.06	4494.55
12 / 12	1302	149.25	248.00	98.75	71.06	7017.18
01 / 13	1082	123.66	247.00	123.34	71.06	8764.54
02 / 13	1317	150.85	231.00	80.51	72.62	5846.64
03 / 13	1635	190.22	270.00	79.78	71.87	5733.79
						76558.52

वाहन संख्या एच0पी0-52-0603 (अम्बैसडर कार)

माह	माह के दौरान वाहन द्वारा तय दूरी	सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत से ईंधन की खपत	माह के दौरान ईंधन की वास्तविक खपत	ईंधन की जितनी अधिक खपत	दर	राशि
04 / 12	1911	255.17	296	40.83	67.88	2771.54

05 / 12	2035	282.39	319.00	36.61	76.8	2788.95
06 / 12	808	121.13	131.00	9.87	70.90	699.78
07 / 12	3323	459.30	516.00	56.70	72.50	4110.75
08 / 12	1219	182.00	199.00	17.00	74.60	1268.20
09 / 12	1996	282.90	293.00	10.10	72.47	731.94
10 / 12	1487	210.99	239	28.01	72.16	2021.20
11 / 12	1078	154.50	172	17.50	71.06	1243.55
12 / 12	1903	268.57	303	34.43	70.93	2442.12
01 / 13	2081	283.93	311	27.07	71.11	1924.95
02 / 13	1600	225.57	279	53.43	70.27	3754.53
03 / 13	1347	197.53	212	14.47	73.52	1063.83

₹24821.34

Says 24821.00

9 वाहनों की ईंधन की खपत निर्धारित न करना:—

सामान्य प्रशासन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पत्र संख्या जी0ए0डी0(डी)—1—1/98, दिनांक 21.01.97 तथा जी0ए0डी0—1—1/46, दिनांक 4.2.06 के अन्तर्गत जिन वाहनों की ईंधन खपत प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है, इसके अतिरिक्त भी हिमुडा के ऐसे कई वाहन हैं जिनका उपयोग बिना सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत तेल की खपत प्रति लीटर की जा रही है। वाहनों में उपयोग होने वाले ईंधन की खपत/औसत प्रति मास सरकार द्वारा दिये गये मापदण्डों के आधार पर निकाली जानी अपेक्षित थी। जबकि ऐसा नहीं किया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है कुछ उदाहरण निम्न दिये गये हैं।

क्रमसं०	वाहन का विवरण
1	एच0पी0—51ए—0024 इनोवा
2	एच0पी0—07 सी—0030 टवैरा
3	एच0पी0—07 सी—022 एच0एक्स iv
4	एच0पी0—07 ए—9900 इनोवा

वाहन संख्या एच0पी0-51 ए-0024 (ईनोवा)

माह	वाहन द्वारा तय दूरी	माह के दौरान डलवाया ईंधन	औसत खपत
04 / 12	5816	716	8.12
05 / 12	5366	678	7.91
06 / 12	5629	691	8.14
07 / 12	7009	896	7.82
08 / 12	6662	850	7.83
09 / 12	582.6	717.50	8.11
10 / 12	1203	155.00	7.76
11 / 12	—	—	—
12 / 12	3255	375.00	8.68
01 / 13	6481	764.00	8.48
02 / 13	5017	577.00	8.69
03 / 13	2895	349.00	8.29

वाहन संख्या एच0पी0-07 सी-0030

माह	वाहन द्वारा तय दूरी	माह के दौरान डलवाया ईंधन	औसत खपत
04 / 12	920	115 ली0	8.00
05 / 12	1065	131 ली0	8.12
06 / 12	942	118 ली0	7.98
07 / 12	837	104 ली0	8.04
08 / 12	1024	128 ली0	8.00
09 / 12	757	94 ली0	8.05
10 / 12	1110	117 ली0	9.48
11 / 12	1047	130 ली0	8.05
12 / 12	1182	130 ली0	9.9
01 / 13	618	75 ली0	8.24
02 / 13	—	—	—
03 / 13	177	22 ली0	8.04

वाहन नहीं चला

वाहन संख्या एच0पी0-07 सी-022 (एस एक्स iv)

माह	माह के दौरान तय दूरी	माह के दौरान ईंधन की कुल खपत	माह के दौरान वाहन का औसतन
	कि०मी०	ली०	ली०
04 / 12	2832	343	8.15
05 / 12	763	93	8.20
06 / 12	3070	347	8.84
07 / 12	729	88	8.28
08 / 12	2344	286	8.19
09 / 12	1610	180	8.94
10 / 12	1285	145	8.86
11 / 12	1120	136	8.23
12 / 12	393	45	8.73
01 / 13	908	105	8.64
02 / 13	809	100	8.09
03 / 13	731	84	8.70

वाहन संख्या एच0पी0-07 ए-9900

माह	माह के दौरान तय दूरी	माह के दौरान ईंधन की कुल खपत	माह के दौरान वाहन की औसत
	कि०मी०	ली०	ली०
04 / 12	3434	399	8.60
05 / 12	2509	322	7.79
06 / 12	3260	418	7.79
07 / 12	6149	787	7.81
08 / 12	4575	526	8.69
09 / 12	3358	430	7.80
10 / 12	603	80	7.53

11 / 12	2660	337	7.89
12 / 12	3213	410	7.80
01 / 13	151	90	7.16
02 / 13	494		
03 / 13	504	53	9.50

अंकेक्षण के दौरान उक्त वाहनों की औसत ईंधन खपत का प्रमाण पत्र न तो लॉग बुक के शुरू में अंकित किया गया और न ही इससे सम्बन्धित माप दण्डों की प्रति उपलब्ध करवाई गई। जिसके अभाव में इन वाहनों में निर्धारित ईंधन खपत से कितनी अधिक खपत की गई, की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः वाहनों की लॉग बुक के आरम्भ में प्रति लीटर ईंधन की औसत खपत का प्रमाण पत्र न देने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा सुझाव दिया जाता है कि सरकार द्वारा समय-2 पर जारी निर्देशों के अनुसार उक्त वाहनों की औसत खपत प्रति लीटर कि०मी० का प्रमाण लॉग बुक के पृष्ठ 1 पर देना सुनिश्चित किया जाये ताकि वाहनों में ईंधन के उपयोग की जांच नियमानुसार की जा सके उपरोक्त मामलों में प्रमाण पत्र के आधार पर अपने स्तर पर जांच करके यदि तेल की खपत अधिक पाई गई। उसकी वसूली सम्बन्धित वाहन चालक से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जानी सुनिश्चित की जाये।

10 वाहनों की लॉग बुक के रख रखाव में पाई गई अनियमितताएं:-

1 वाहन संख्या 007 ए-0099 की लॉग बुक में निम्नलिखित विवरणानुसार माह 8/12, 9/12 व 3/13 में क्रमशः 20 लीटर, 40 लीटर व 10 लीटर अर्थात् कुल 70 लीटर डीजल माह के अन्त में शेष था उक्त दर्शाये गये शेष ईंधन को अगले माह में डलवाये गए डीजल में जमा न करके 70 लीटर डीजल का दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹40.40/-प्रति लीटर की दर से ₹2829/-70x₹40.40/-की वसूली उचित स्रोत से करके मण्डल खाते में जमा उकरवाना सुनिश्चित किया जाए।

वाहन सं०	माह	वाहन द्वारा माह में तय दूरी	जितना पेट्रोल डलवाया	जितने पेट्रोल पर औसत	औसत
एच०पी०-०७	८/१२	४५७५ कि०मी०	५४६	५२६	८.६९
००९९					
—यथोपरि—	९/१२	३३५८ कि०मी०	४७०	४३०	७.८०

- २ वाहन संख्या एच०पी०-५१ ए-००२४ (ईनोवा) की लॉग बुक की जांच उपरान्त पाया गया कि माह १०/१२ व ११/१२ को वाहन में कुल २१० लीटर ईंधन डलवाया गया था और उक्त माहों के दौरान खपत १५५ लीटर तथा बकाया ईंधन ५५ लीटर अन्त में शेष था जिसे अगले माह में डलवाये ईंधन में जमा कर ईंधन की औसत प्रति लीटर कि०मी० निकाली जानी थी जबकि माह १२/१२ में वाहन में कुल ईंधन ३७५ लीटर डलवाया गया और वाहन की औसत खपत प्रति लीटर किलोमीटर भी इसी दर पर निकाली गई परन्तु जो माह १०/१२ व ११/१२ में ५५ लीटर ईंधन शेष था उसे अगले माह १२/१२ के कुल ईंधन ३७५ लीटर में जमा नहीं किया गया अर्थात् बकाया ५५ लीटर ईंधन का दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा ५५ लीटर डीजल की वसूली ₹२५८३/’ (५५x₹४६.९६) उचित स्रोत से वसूल करके मण्डल खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाये।

- ३ वाहन संख्या एच०पी०-०७ सी-००२२ की लॉग बुक की जांच उपरान्त लेखा परीक्षा में पाया गया कि माह ४/२०१२ तथा १०/२०१२ में पेट्रोल की मासिक औसत प्रति कि०मी० प्रति लीटर को निकालते समय वाहन में माह में डलवाये कुल डीजल को कम दर्शाकर वाहन की पेट्रोल/डीजल की औसत एक लीटर प्रति कि०मी० निकाली गई जिसके फलस्वरूप ७ लीटर डीजल कम दर्शाया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

वाहन सं०	माह	वाहन द्वारा तय दूरी	जितना पेट्रोल डलवाया	जितने पेट्रोल औसत निकाली	औसत
एच०पी०-०७	४/२०१२	२८३२	३४९	३४३	८.२५
सी-००२२					

—यथोपरि—	10/2012	1285	146	145	8.86
			495	488	

अतः वाहन में मासिक डीजल की औसत एक लीटर प्रति कि०मी० निकालते समय 7 लीटर पेट्रोल को कम लेने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये और 7 लीटर पेट्रोल की वसूली ₹501.06 (7X71.58) की सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित किया जाये।

4 लॉग बुक में ईंधन की प्रविष्टि न करके के फलस्वरूप हिमुडा को ₹873/- की वित्तीय हानि:—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाहन संख्या एच०पी०-०७ सी-००३० की लॉग बुक में माह 10/12 में पेट्रोल की मासिक औसत खपत प्रति कि०मी० प्रति लीटर को निकालते समय सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी/चालक द्वारा वाहन में माह में डलवाये कुल डीजल को कम दर्शाकर/लेकर वाहन की मासिक ईंधन औसत खपत एक लीटर प्रति कि०मी० निकाली गई जिसके फलस्वरूप हिमुडा द्वारा पृष्ठ 84 लॉग बुक में 21 लीटर ईंधन शेष था जिसे अगले माह की औसत खपत में नहीं लिया गया। अतः शेष 21 लीटर ईंधन को औसत खपत में न लेने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा 21 लीटर डीजल के मूल्य ₹873 (21X41.58) की वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

11 (1) 49 लीटर डीजल मूल्य ₹2306/- का दुरुपयोग:—

वाऊचर संख्या 36 दिनांक 6.3.13 के तहत हिमुडा द्वारा हिमफैंड पेट्रोल पम्प शिमला-2 को ₹65070/- का भुगतान ईंधन की खरीद हेतु किया गया सम्बन्धित वाहनों में पेट्रोल/डीजल की प्रविष्टि की लॉग बुक में जाँच करने पर पाया गया कि वाहन संख्या एच०पी०-51 ए-0024 में बिल संख्या 064357 दिनांक 2.2.13 के तहत 49 लीटर डीजल डलवाया गया था परन्तु उक्त बिल/तेल की प्रविष्टि सम्बन्धित वाहन की लॉग बुक में नहीं की गई। परिणामस्वरूप 49 लीटर डीजल मूल्य ₹3606/- का दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व ₹2306/- की उचित स्रोत से वसूली करके मण्डल खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

2 अधिकतर अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विभिन्न वाहनों का उपयोग किया गया। वाहन की लॉग बुकों के स्तम्भ में केवल सरकारी दर्शाकर वाहन का उपयोग किया गया। जोकि नियमों के विपरीत है लॉग बुक में यात्रा का उद्देश्य (यदि यात्रा सरकारी हो तो पूरा विवरण) दिया जाना अपेक्षित है। अतः पूर्ण रूप से यात्रा का विवरण लॉग बुक में न दर्शाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए और लॉग बुक के स्तम्भ 9 को जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट रूप से भरा नहीं गया है उनसे पूर्ण रूप से भरवाना सुनिश्चित किया जाये ताकि यात्रा की सत्यता की पुष्टि की जा सके अन्यथा यात्राओं को सरकारी न मानकर आउटर्न में दी गई दरों के अनुसार राशि की वसूली करके इस विभाग को अवगत किया जाए।

12 लघु आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर कर दिया गया, इस कारण इसे जारी नहीं किया गया।

13 निष्कर्ष :- लेखों में उचित अनुरक्षण में और सुधार तथा वर्तमान व गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

हस्ता/

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)135/90-खण्ड-6-1366-68 दिनांक 26.02.2014,
शिमला-171009

प्रतिलिपि :-

पंजीकृत :-1 प्रधान सचिव आवास हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-9.

2 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम बिहार शिमला-171002.

3 अधिशाषी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल फेज-III, न्यू शिमला को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई उचित कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।

हस्ता/

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

परिशिष्ट "क"

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटाने में की गई कार्यवाही की नवीनतम स्थिति

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/92 से 03/93

1 पैरा 15 अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/95 से 03/96

1 पैरा 22 अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/97 से 03/98

1 पैरा 29 अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/98 से 03/99

1 पैरा 23 अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/99 से 03/2000

1 पैरा 18 अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2000 से 03/2001

1 पैरा 11 अनिर्णीत

2 पैरा 29 अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2001 से 03/2002

1 पैरा 15 अनिर्णीत

2 पैरा 26 अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2002 से 03/2003

1 पैरा 23 अनिर्णीत

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2003 से 03/2004

1	पैरा 15	अनिर्णीत
2	पैरा 17	अनिर्णीत
3	पैरा 20	अनिर्णीत

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2004 से 03/2005

1	पैरा 10(क) से (ड)	अनिर्णीत
2	पैरा 18	अनिर्णीत

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2005 से 03/2006

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 12	अनिर्णीत
5	पैरा 14	अनिर्णीत

(12) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2006 से 03/2007

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 12	अनिर्णीत

(13) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2008

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत
3	पैरा 11(क)	अनिर्णीत
4	पैरा 13	अनिर्णीत

(14) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2008 से 03/2009

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 10	अनिर्णीत
5	पैरा 11	अनिर्णीत
6	पैरा 12 (क,ख, ग,घ)	अनिर्णीत

(15) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2009 से 03/2010

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 10	अनिर्णीत
5	पैरा 11	अनिर्णीत
6	पैरा 12	अनिर्णीत
7	पैरा 13	अनिर्णीत
8	पैरा 16	अनिर्णीत

(16) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा 7 (1 से 5)	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 10	अनिर्णीत
5	पैरा 11	अनिर्णीत

(17) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क से सम्बन्धित)
2	पैरा 4 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 4 में वर्णित)
3	पैरा 4 (ख)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 4 (ख) में वर्णित)

4	पैरा 5	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 5 में वर्णित)
5	पैरा 6	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 6 में वर्णित)
6	पैरा 7	अनिर्णीत	
7	पैरा 8	निर्णीत	(दिये गए उत्तर के आधार पर)
8	पैरा 9	अनिर्णीत	
9	पैरा 10	अनिर्णीत	
10	पैरा 11	अनिर्णीत	
11	पैरा 12 (1 व 2)	अनिर्णीत	
12	पैरा 13	निर्णीत	(राशि ₹139 की वसूली से सम्बन्धित रसीद संख्या 0196816 दिनांक 30.1.13 के सत्यापन उपरान्त)
13	पैरा 14	निर्णीत	(राशि ₹95 की वसूली से सम्बन्धित रसीद संख्या 0196815 दिनांक 30.11.13, 0157970 दिनांक 2.5.13 राशि ₹11 तथा रसीद संख्या 0157990 दिनांक 5.8.13 राशि ₹195 के सत्यापन उपरान्त)
14	पैरा 15	निर्णीत	(कार्यवाही अपेक्षित नहीं)
15	पैरा 16	निर्णीत	